

प्रेसनोट दिनांक 21.02.2024

1. दिनांक 20.02.24 को वादी उ0नि० श्री संतोष कुमार मौर्या थाना को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शहबाज पुत्र शलीम नि० अवधपुरी कालोनी थाना को०नगर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अद्द चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 90 / 24 धारा 4 / 25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2.दिनांक 20.02.24 को वादी उ0नि० श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना का०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेन्द्र यादव पुत्र स्व० रामबरन यादव नि० पूरे हुसैन खान थाना को०नगर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 91 / 24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3.दिनांक 20.02.24 को वादी उ0नि० श्री सतीश चन्द्र थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि इन्द्रजीत चौहान पुत्र सुभाष नि० कादीपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 28 / 24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4.दिनांक 20.02.24 को वादी उ0नि० श्री अविनाश त्रिपाठी थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अरुण कुमार निषाद उर्फ लहुरी पुत्र स्व० बाबूलाल नि० बछरामपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से एक अद्द चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 54 / 24 धारा 3 / 25 आम्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

5.दिनांक 20.02.24 को वादी उ0नि० श्री शीतला प्रसाद मिश्रा थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संतराम पाल पुत्र राम लहुक पाल नि० भीतरगांव जासरपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 55 / 24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

6.दिनांक 20.02.24 को वादी मु०आरक्षी श्री कृष्ण कुमार यादव थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अशोक सिंह पुत्र उदयराज सिंह नि० सिहोरिया थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 19 / 24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

7.दिनांक 20.02.24 को वादी मु०आरक्षी श्री संतोष कुमार थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि लालमणि यादव पुत्र सरयू प्रसाद यादव नि० लम्बोडिया सीहीपुर थाना थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 20 / 24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

8.दिनांक 20.02.24 को वादी उन्नी० श्री सुधीर कुमार थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अनिल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निं० मङ्गनपुर थाना खण्डासा अयोध्या। गिर० अभिऋण के कब्जे से 1215 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मुआ०सं० 33/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एकट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

9.दिनांक 20.02.24 को वादी उन्नी० श्री मुनिमनरंजन दूबे थाना को०रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिवजी पुत्र भगोले निं० पूरेमिया थाना को०रुदौली अयोध्या। गिर० अभिऋण के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मुआ०सं० 49/24 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10.दिनांक 20.02.24 को वादी उन्नी० श्री राजकुमार यादव थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मंजूर अली पुत्र खान मौहम्मद निं० नगरा थाना पटरंगा अयोध्या। गिर० अभिऋण के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मुआ०सं० 30/24 धारा 60(1) आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।